ida

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर–452 003 (म.प्र.)
website:http://www.idaindore.org
(एकल खिड़की प्रणाली अंतर्गत)

कमांक: 4598

दिनांक: 25 JUL 2018

प्रति
श्री अरजिंद कुमार सिंह पिता श्री बेचनसिंह
निवासी 154 ए.जी., योजना कमांक 54, इन्दौर

विषयः योजना कमांक **54** का भूखण्ड कमांक **312/बी.जी.** के अंतरण बाबद
संदर्भः आपका आवेदन–पत्र आवक क. 372 दिनांक **11-01-2018**

योजना क. 54 का भूखण्ड कमांक 312/बी.जी. प्रथमतः 30 वर्ष की लीज पर लीजगृहिता को आबंटित किया गया था । मूल आबंटिती पर आबंटन, इकरारनामा, लीजडीड एवं आबंटन की शर्त बंधनकारक होने से केता द्वारा संदर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत पंजीकृत विकय–पत्र की प्रमाणित प्रति, शपथ–पत्र, इकरारनामा एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए है, के आधार पर अंतरण से संबंधित सभी कार्यवाही पूर्ण होने तथा अंतरण संबंधी जाहिर सूचना दिनांक 24.01.2018 को विभिन्न शासकीय कार्यालयों में प्राधिकारी के सूचना पटल पर एवं उक्त भूखण्ड पर चस्पा करने हेतु जारी की गई थी। जाहिर सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र पत्रिका में दिनांक 17.02.2018 को किया गया था। अंतरण के संबंध में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से प्राधिकारी के अभिलेखों में योजना कमांक 54 का भूखण्ड कमांक 312/बी.जी. पर पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 18.08.2017 में उल्लेखित केता **श्री अरजिंद कुमार सिंह पिता श्री बेचनसिंह** का नाम दर्ज किया जाता हैं।

उपरोक्त नामांतरण से संबंधित भूखण्ड पर स्वीकृत नक्षे के विपरीत निर्माण/अनाधिकृत निर्माण/एम. ओ.एस. में निर्माण वैध नहीं होगा, इसके लिये सक्षम संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

आबंटन/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग/शर्तो का उल्लंघन होने पर अथवा केता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दी गई जानकारी असत्य होने की स्थिति में उपरोक्त अंतरण का पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(संपदा अधिकारी द्वारा स्वीकृत)

संपदा अधिकारी वर्ग–2
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
दिनांक:

पृ.कमांकः /दो/2/संपदा/2018
प्रतिलिपि :–

1) श्रीमती शिवलतासिंह पति श्री बलवंतसिह निवासी 86/ए.बी., योजना कमांक 54, इन्दौर
2) ई.डी.पी. मैनेजर इ.वि.प्रा. इन्दौर सन्दर्भ कमांक 22001955
में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

संपदा अधिकारी वर्ग–2
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर